

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 14.06.2022

थाना भोगनीपुर

दिनांक 13.06.2022 को थाना स्थानीय के अभियोग मु०अ०सं० 02/13 धारा 498ए/325 भा०द०वि० व ३/४ डीपी एक्ट में वारण्टी अभियुक्त गोपे सिंह को पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार चालान मा० न्यायालय किया गया।